भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - †1753

उत्तर देने की तारीख- 01/08/2024

मछुआरों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

†1753. श्री वी. वैथिलिंगम:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मछुआरों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का मुद्दा काफी समय से लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार मछुआरों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के संबंध में शीघ्र ही निर्णय लेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): भारत सरकार ने 15.6.1999 को (जिसे 25.6.2002 और 14.9.2022 को और संशोधित किया गया) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन करने और अन्य संशोधनों के लिए दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और कानून (विधान) में संशोधन किया जाता है, जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुशंसित और उचित ठहराया गया है और जिन पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। प्रस्तावों पर सभी कार्रवाइयां इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती हैं। अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार किसी भी मामले को आगे बढ़ाने की कार्यवाही करने के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिश एक पूर्व-आवश्यकता है।

मछुआरों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त कोई प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्रालय में लंबित नहीं है।

*****